

१४०८ कार्यालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून
संख्या—/रा०प०—त०ना०त०—३—/स्था०पदो०/२०१३, दिनाँक२७जनवरी, २०१४
आदेश

राजस्व विभाग अन्तर्गत नायब तहसीलदारों के अधिकांश पद रिक्त होने से व लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष नियमित पदोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया में संभावित बिलम्ब को दृष्टिगत रखते हुये शासनादेश संख्या—५४/XVIII (1)/२०१३-३(५८)/०९ दिनाँक ९.०१.२०१३ से प्रदत्त निर्देशों के आलोक में नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर स्थानापन्न/तदर्थ प्रोन्नति हेतु राजस्व परिषद स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति दिनाँक २७.०१.२०१४ के कम में रजिस्ट्रार कानूनगो संवर्ग से निम्न रजिस्ट्रार कानूनगो को आगामी एक वर्ष अथवा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती/पदोन्नति के अन्तर्गत नियमित चयन होने, जो भी पहले हो, तक के लिये नायब तहसीलदार के पद पर स्थानापन्न/तदर्थ रूप से पदोन्नत किया जाता है। यह तदर्थ प्रोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से ही प्रभावी होगी। इन कार्मिकों की तैनाती उनके सम्मुख अकित जनपद एवं मण्डलों में की जाती है:-

क०स०	रजिस्ट्रार कानूनगो का नाम	वर्तमान तैनाती का जनपद	तदर्थ प्रोन्नति उपरान्त तैनाती का जनपद एवं मण्डल
1.	श्री कुँवर सिंह भण्डारी	पिथौरागढ़	उधमसिंहनगर, कुमाँयू मण्डल
2.	श्री जीवनसिंह चौहान	पिथौरागढ़	उधमसिंहनगर, कुमाँयू मण्डल
3.	श्री पूर्ण सिंह बौरा	चम्पावत	चम्पावत, कुमाँयू मण्डल
4.	श्री हरीशचन्द्र मुरारी	पिथौरागढ़	उधमसिंहनगर, कुमाँयू मण्डल

श्री पूरणसिंह बौरा के दिनाँक ३१.०१.२०१४ को अधिवर्षता आयुपूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति के दृष्टिगत उनकी तैनाती वर्तमान कार्यरत जनपद चम्पावत में की जा रही है। उनका वेतन जनपद में तहसीलदार अथवा सहायक भूलेख अधिकारी के रिक्त पद के सापेक्ष आहरित होगा।


- यह प्रोन्नतियां नितान्त अस्थाई है तथा कभी भी बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती है।
- यदि उपरोक्त कार्मिकों के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होता है, जो कि उनकी तदर्थ प्रोन्नति को प्रभावित कर सकता है, तो उनकी उक्त तदर्थ प्रोन्नति निरस्त मानी जायेगी है।

एस०के०मुद्र०
अध्यक्ष
राजस्व परिषद

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
2. आयुक्त कुमाँगू मण्डल नैनीताल / गढवाल मण्डल पौडी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित कार्मिक।
5. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


(पी०एस०जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव
